

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय देवास.

क्रमांक 1371 // नग्रानि / 11
प्रति,

देवास, दिनांक 23/7/2011

श्री सुनिल सोनी पिता श्री कन्हैयालाल सोनी
निवासी 253 एम. जी. रोड देवास

विषय :- ग्राम - देवास जुनियर मे स्थित भूमि सर्वे क्र. 542/2/1/1 एवं 543/1, कुल रकबा 0.098
हे. (980.0 वर्ग मी.) भूमि पर स्वयं के आवासीय उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन वाचत।
संदर्भ:- आवेदक का आवेदन दिनांक 21-7-2011

:-00:-

उपरोक्त विषय मे संदर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत दरतावेजो के आधार पर ग्राम - देवास
जुनियर मे स्थित भूमि सर्वे क्र. 542/2/1/1 एवं 543/1, कुल रकबा 0.098 हे. (980.0 वर्ग मी.) भूमि पर
स्वयं के आवासीय उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन चाहा गया है।

आवेदक भू-स्वामि द्वारा प्रस्तुत आवेदन मे यथावर्णित दरतावेजो, शपथपत्र के आधार पर
विषयांकित भूमि कुल रकबा 980.0 वर्ग मीटर भूमि पर स्वयं के आवासीय उपयोग चाहा गया है। उक्त भूखण्ड
पर वर्तमान मे 9.0 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग उपलब्ध है। तथा भूखण्ड पूर्ण रूप से विकसित क्षेत्रान्तर्गत है तथा
नगर निगम सीमा के बाईं क्र. 16 मे स्थित है। संलग्न मानचित्र अनुसार म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश,
अधिनियम- 1973 की धारा-30 (1)-(ख) तथा म0प्र0 भूमि विकास नियम-1984 के नियम-2(5)(क) एवं
नियम-27 के प्रावधानो के अधीन भूखण्ड पर विकास कार्य क्रियान्वित किये जाने की कार्यवाही सक्षम
प्राधिकारी द्वारा अधिनियमो / नियमो के प्रावधानो के अंतर्गत करने हेतु शर्तों के अधीन स्थल अनुमोदन
प्रदान किया जाता है। :-


1. निम्नलिखित अधिनियम नियम / सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से अनापत्ति / अनुज्ञा लेना
अनिवार्य होगा :-
अ. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-172
ब. म0प्र0 नगर पालिका निगम, अधिनियम-1956
स. नजूल विभाग, देवास
द. देवास विकास प्राधिकरण, देवास
ई. अन्य किसी अधिनियमों / नियमों के अंतर्गत कोई अनुज्ञा / अनापत्ति प्राप्त करना
आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे की प्रश्नाधीन भूखण्ड किसी स्वीकृत
अभिन्यास का भाग नहीं है।
3. संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार विषयांकित भूमि के सामने स्थित पहुंच मार्ग की
चौड़ाई 09.00 मीटर यथावत रखना होगा।



निरन्तर.....2

//2//

4. संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूखण्ड में सामने 12.0 मी. एवं आजू-बाजू में 4.50 मी. एवं पीछे 4.50 मी. सीमांत खुले क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा। उक्त सीमांत खुले क्षेत्र को किसी भी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं है। इसका पालन स्थानीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
5. प्रस्ताव अनुसार आवेदनित क्षेत्र 30 प्रतिशत से अधिक मान्य नहीं होगा। भवन की उचाई म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के निर्दिष्ट नियमों के अनुसार होगी।
6. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधार-भूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा।
7. यह अनुज्ञा आवेदकों को स्वयं के आवासीय उपयोग हेतु दी गई है। किसी भी प्रकार का उप-विभाजन कर विक्रय करना अथवा ऐसी कोई गतिविधि मान्य नहीं होगी, जो कि म0 प्र0 नगर पालिका नियम-1998 के प्रावधानों के विपरित हो।
8. म0प्र0भूमि विकास नियम-1984 के नियम-82 के प्रावधानों के अनुसार निशक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक प्रावधान करना होगा।
9. म0प्र0 भूमि विकास नियम-1984 के प्रावधानों का पालन भवन अनुमति के समय राक्षम प्राधिकारी को सुनिश्चित करना होगा।
10. म0प्र0भूमि विकास नियम-1984 के नियम-78(4)के अनुसार रेनवाटर हावेस्टिंग की प्रणाली स्थापित करना होगी। इसके पश्चात् ही संबंधित द्वारा जल एवं विद्युत संयोजन किया जा सकेगा।
11. उक्त अनुज्ञा की शर्तों के आधार पर राक्षम प्राधिकारी द्वारा म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1956-61 के अंतर्गत कालोनाईजर का (रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन एवं शर्त) नियम 1998 एवं म0प्र0भूमि विकास नियम-1984 के प्रावधानों के तहत भवन के आंतरित प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार भवन निर्माण अनुज्ञा आयुक्त, नगर पालिका निगम, देवास से प्राप्त करना होगी।
12. उक्त अनुज्ञा पत्र के जारी होने के दिनांक से 3 (तीन) वर्ष तक मान्य होगी।
13. उक्त अनुज्ञा को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं माना जावे, और न ही यह अहस्तांतरणीय होगी।
14. विधायकित भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग से कराना होगा। सीमांकन उपरांत स्थल की सीमा अथवा स्थल मानचित्र अनुसार यदि कोई भिन्नता आती हो, तो सीमांकित स्थल मानचित्र का अनुमोदन इस कार्यालय से कराना होगा। तत्पश्चात् ही स्थल पर निर्माण अनुमति मान्य मानी जावेगी।



//3//

15. भूमि की वैधानिकता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अथवा दी गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या तथ्यों को छिपाने पर उक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म0प्र. भूमि विकास नियम-1984 के नियम-25 के तहत प्रतिरहित (रिहोव) की जा सकेगी।

संलग्न: एक स्वीकृत मानचित्र।

उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय देवास

देवास, दिनांक 23/7/11

पृ. क्रमांक 1312-73/नगानि/2011

प्रतिलिपि 1- आयुक्त, नगर पालिक निगम देवास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- 2- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवास की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

संलग्न एक-एक स्वीकृत मानचित्र।


उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय देवास



LOCATION PLAN
MT-3



MR. PLAN



PROPOSED RESIDENTIAL SITE PLAN ON
14A NO 543/1/1 543/1 AT DENVA JAMNAR, DENVA
BELONGING TO SHRI SUNIL JI SMI KANHAIYALALJI SONI

STATEMENT OF AREA

PLOT AREA = 6.058 HACT
= 880 SQM
AREA UNDER ROAD = 29.79 X 3.0 = 89.15 SQM
NET PLOT AREA = 890.90 SQM
PROPOSED CONST = 30% = 267.27 SQM
OPEN AREA = 623.63 SQM

OWNER



SCALE
1:500

CONSULTANT

23/7/2011

कमांक 1374 / नशानि / 11

श्री नरेश, आम्बोजी, राईल सोनी पिवा
श्री अनिल सोनी निवारी
253 एम. जी रोड देवास

विषय:- ग्राम - देवारा वृन्दिचर में स्थित मूँसि खेत का 542/2/2/1 कूल रकबा 0.097 हे.
खेतों पर मूँसि पर खेत के आवासीय उपयोग हेतु स्थल अर्जमादन बाबत।

:-00-:-

उपरोक्त विषय में संबंधित आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम - देवास वृन्दिचर में स्थित मूँसि खेत का 542/2/2/1 कूल रकबा 0.097 हे. के आवासीय उपयोग हेतु स्थल अर्जमादन बाबत गया है।

आवेदक मूँसि-रावण खेरा प्रखण्ड आवेदन में सम्मिलित दस्तावेजों, शेषावशेष के आधार पर विधायिका में 970 वर्ग मीटर मूँसि पर खेत के आवासीय उपयोग बाबत गया है। उक्त मूँसि पर वर्तमान में 90 मीटर चौड़ा पट्टेय भूतल उपलब्ध है। तथा मूँसिख पूर्व रूप से विकसित क्षेत्र माना है तथा नगर निगम क्षेत्रों के बाड़ के 16 में स्थित है। संलग्न मानचित्र अनुसार नगर निगम क्षेत्रों में 1973-1979 की धारा-30 (1)-(ख) तथा नगर निगम विधायिका निगम-1984 के निगम-2(5)(क) एवं निगम-27 के प्रावधानों के अन्तर्गत मूँसिख पर विकास कार्य विकसित किया जाने की कार्यवाही संलग्न विधायिका द्वारा अतिरिक्त/निगम/निगमों के प्रावधानों के अन्तर्गत करने हेतु शर्तों के अन्तर्गत स्थल अर्जमादन प्रदान किया जाता है। :-

1. निम्नलिखित अतिरिक्त निगम/संलग्न विधायिका तथा स्थलों से अनापत्ति/अर्जमादन लेना अतिरिक्त शर्तों:-
 - अ. नगर निगम, देवास
 - ब. देवास विकास प्राधिकरण, देवास
 - क. अन्ध विक्षेपी अतिरिक्त/निगमों के अन्तर्गत कोई अर्जमादन / अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है। जो उसी आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

2. संलग्न प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे की संलग्न मूँसिख क्षेत्रों में स्वीकृत अभियानों का पालन नहीं है।

3. संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार विधायिका में मूँसि के समाने स्थित पट्टेय भूतल की चौड़ाई 09.00 मीटर तथा पट्टेय रकबा 11.11 है।

निवेदन 2

पुंसि की वेमानिकला के साथ में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अथवा ती गई जानकारी असल पाई जाने पर या तयारी को डिमान पर तबत अर्जना की शर्ती का उल्लंघन होने पर यह अर्जना मउम. पुंसि विकास निधम-1984 के निधम-25 के तहत प्रोविदेन (रिफोक) की जा सकी।

15.

संलग्न एक स्वीकृत मानसिख।

उप संघालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय देवास

देवास दिनांक 23/7/2011

प्रतिस्ति 1- आयुक्त, नगर पालिक निगम देवास की और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रमित।

पु संघालक 1375/76/नमानि/2011

Handwritten signature

Handwritten signature

2- अतिमानसिख अधिकारी राजसू देवास की और केषवा सैयनसिख एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रमित।

देव प्रमित

संलग्न एक-एक स्वीकृत मानसिख।


उप संघालक

नगर तथा ग्राम निवेश



जिला कार्यालय देवास

Handwritten signature

Handwritten signature



LOCATION PLAN



PROPOSED RESIDENTIAL SITE PLAN IN
 KM. NO 542/2/1
 BELONGING TO SRI NARESH, ABHIJEET & RAHUL
 3/0 SRI ANIL SONI

STATEMENT OF AREA

PIOT AREA = 9.097 HACT
 AREA UNDER ROAD = 29.85X3.0 = 89.55 S.M
 NET PIOT AREA = 80.45 S.M
 PROPOSED CONST = 30% = 264.13 S.M
 OPEN AREA = 616.32 S.M

CONSULTANT



SCALE

1:500

OWNER

Handwritten signatures and initials of the owner.

कपालिय उप-स्थानिक नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय देवास

देवास, दिनांक

23/7/2011

कपालि / नगरि / 11 1377

श्री राजेन्द्र सोनी पिता कन्हैयालाल सोनी

निवासी 253 एम. जी. रोड देवास

प्रति

विषय :-

ग्राम - देवास जमिंदार में स्थित भूमि खंड क. 542/1/1, 541/1293/1/1 कुल रकबा 0.094 हे. (940.0 वर्ग मी.) भूमि पर स्वयं के आवासीय उपयोजन हेतु स्थल अनुमोदन प्राप्त।

संदर्भ:-

आपका आदेशन दिनांक 21-7-2011 प्राप्त।

2-00-2

उपरोक्त विषय में संबंधित आदेशन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम - देवास जमिंदार में स्थित भूमि खंड क. 542/1/1, 541/1293/1/1 कुल रकबा 0.094 हे. (940.0 वर्ग मी.) भूमि पर स्वयं के आवासीय उपयोजन हेतु स्थल अनुमोदन प्राप्त गया है।

आदेशक भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में प्रामाणिक दस्तावेजों, शपथपत्र के आधार पर विधायित्व भूमि कुल रकबा 940.0 वर्ग मीटर भूमि पर स्वयं के आवासीय उपयोजन प्राप्त है। उक्त भूखंड पर वर्तमान में 9.0 मीटर चौड़ा मध्य मार्ग उपलब्ध है। तथा भूखंड पूर्ण रूप से विकसित क्षेत्रांतर्गत है तथा नगर विधान सभा के बजट क. 16 में स्थित है। राजन मानचित्र अनुसंधान 4080 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-30 (1)-(ख) तथा 4080(ग) विधायक विधान-1984 के नियम-2(5)(क) एवं नियम-27 के प्राधान्य के अर्थात् भूखंड पर विकास कार्य विकसित किए जाने की कार्यवाही राजन मानचित्र अधिनियम / नियमों के प्राधान्य के अंतर्गत करने हेतु शर्तों के अर्थात् स्थल अनुमोदन प्रदान किया जाता है। :-

1. निम्नलिखित अधिनियम नियम / राजन मानचित्र तथा शपथ से अनुरोधित / अनुरोध लेना

अतिव्यापक लेना :-

अ. 4080(ग)-राजस्य स्थिति-1959 की धारा-172

ब. 4080(नगर) पालिका नियम, अधिनियम-1956

स. नगर विधान, देवास

द. देवास विकास प्राधिकरण, देवास

ई. अन्य किसी अधिनियमों / नियमों के अंतर्गत कोई अनुरोध / अनुरोधित प्राप्त करना

आवश्यक दस्तावेजों को उपरोक्त कानून से प्राप्त किया जावे।

2.

राजन मानचित्र अधिनियम के प्राधान्य के अंतर्गत कर्तव्य किया जावे की प्रस्तावित भूखंड किसी स्थानिक अधिनियमों का भाग नहीं है।

3.

राजन मानचित्र में दर्शाये अनुरोधित भूमि के समान स्थल पर ग्राम की सीमाई 09.00 मीटर यथावत रखना होगा।

नियम-2

4. स्थान मानचित्र में बंगाली अक्षरों में समान 120 मी. एवं आर्ज - बार्ज में 4.50 मी. एवं पीछे 4.50 मी. सीमाएँ खुले क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा। उक्त सीमाएँ खुले क्षेत्र को किसी भी प्रकार का निर्माण अर्द्धव्यव नहीं है। इसका पालन स्थानीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
5. प्रस्ताव अनुसार आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत से अधिक मान्य नहीं होगा। भवन की उचाई 4000 मी. से अधिक निकाय नियम 1984 के निर्दिष्ट नियमों के अनुसार होगी।
6. खोखला एवं प्याकलिंग की दृष्टि से समस्त आभार-भूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदनकर्ता को करना होगा।
7. पर अर्द्धव्यव आवेदनको का स्वयं के आवेदीय उपयोजन हेतु ही भू है। किसी भी प्रकार का उप-विभाजन एवं विक्रय करना अथवा देसी कोई गतिविधि मान्य नहीं होगी जो कि 40 मी. मी. तक निकाय नियम-1998 के प्रावधानों के विपरित हो।
8. 4000 मी. तक निकाय नियम-1984 के नियम-82 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित आदेशों के प्रावधानों के अनुसार निकाय नियम-78(4) के अनुसार अनुमति प्राप्त करने की प्रणाली स्थापित करना होगी। इसके पश्चात् ही स्थापित किया जाना एवं विहित स्थानों का निर्माण किया जा सकता है।
9. 4000 मी. से अधिक निकाय नियम-1984 के प्रावधानों का पालन भवन अर्द्धव्यव के समस्त क्षेत्रों में निकाय नियम-1984 के प्रावधानों के अनुसार करना होगा।
10. 4000 मी. से अधिक निकाय नियम-1984 के प्रावधानों के अनुसार अनुमति प्राप्त करने की प्रणाली स्थापित करना होगी। इसके पश्चात् ही स्थापित किया जाना एवं विहित स्थानों का निर्माण किया जा सकता है।
11. उक्त अर्द्धव्यव की जमीन के आभार पर खसम भूदिकारी द्वारा 4000 मी. मी. तक निकाय नियम-1956-61 के अंतर्गत कालोनिडेशन का (रजिस्ट्रार के पास) निकाय नियम 1998 एवं 4000 मी. से अधिक निकाय नियम-1984 के प्रावधानों के अनुसार करना होगा।
12. उक्त अर्द्धव्यव पर के जारी होने के दिनांक से 3 (तीन) वर्ष तक मान्य होगी।
13. उक्त अर्द्धव्यव को न-स्वाधिन का स्वरूप नहीं माना जाये, और न ही यह अवस्थावर्धीय होगी।
14. विधायिका में ही को स्थानिक स्वतंत्रता अधिनियम की कल्पना होगी। स्थानिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत अर्द्धव्यव स्थापित करने के लिए कोई निर्णय नहीं होगा। स्थानिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत अर्द्धव्यव स्थापित करने के लिए कल्पना होगी।

नियम-1984

उप संचालक
नागर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय देवास

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

संलग्न
एक-एक रसीदें प्रस्तुत हैं।

2- अर्जितमासिक आधिकारी राजस्व देवास की जांच कक्षा देवास एवं आरक्षक कार्यालयी

प्रतिदिन 1- आयुक्त, नागर पालिक निगम देवास की ओर आरक्षक कार्यालयी देवास प्रेषित।

पृ. सं. 1378-79/नागरि/2011 देवास दिनांक 23/7/2011

उप संचालक
नागर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय देवास

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

संलग्न
एक रसीदें प्रस्तुत हैं।

गृहीत की वैधानिकता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अथवा ही गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या तथ्या की छिपाने पर उक्त अर्जिया की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अर्जिया म.प्र. गृह विभाग नियम-1984 के नियम-25 के तहत प्रतिस्तरित (रिजि.क) की जा सकती।

